सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 14 फाल्गुन, 1942 (श०) / 05 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	स्वास्थ्य विभाग	04
(2)	आपदा प्रबंधन विभाग	01
(3)	योजना एवं विकास विभाग	01
	कुल योग --	06

नियुक्ति करना

31. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204, मोहनियाँ)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में 603.24 करोड़ की लागत से राज्य में 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि Indian Public Health Standards के गाइडलाइन के अनुसार प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में Public Health Specialist Public Health Nurse, General Surgeon, Physician, Gynecologist, Dental Surgeon, Lab Technician, Ayush Staff, Nurse आदि के स्वीकृत पद पर नियुक्ति की कार्रवाई अबतक नहीं की गई है, जिससे मरीजों का समुचित इलाज बाधित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो रिक्त पदों के विरुद्ध कबतक सरकार नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

पदस्थापन करना

32. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''दस हजार की आबादी पर आठ डॉक्टर और दो नर्स'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में निर्धारित न्यूनतम मानकों से कम संख्या में डॉक्टर और नर्स उपलब्ध है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सतत् विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) को हासिल करने के लिये प्रति 10 हजार की आबादी को सेवा देने के लिये चिकित्सकों और नर्सों की संख्या 45 होनी चाहिये, जबकि राज्य में 10 हजार की आबादी पर मात्र आठ डॉक्टर तथा दो नर्स ही पदस्थापित हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक डॉक्टर तथा नर्सों की पदस्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की व्यवस्था

33. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत माननीय विधायकों को क्षेत्रीय विकास के कार्यों की अनुशंसा के लिये दो करोड़ की राशि निर्धारित की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उस निर्धारित राशि में किसी गरीब की चिकित्सा अथवा शैक्षणिक फीस के लिये अनुदान देने का प्रावधान किये जाने की माँग प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले 5 वर्षों से सरकार से लगातार की जाती रही है परन्तु आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से माननीय विधायकों की अनुशंसा पर गरीब विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक फीस की सहायता तथा गरीब व्यक्तियों के लिये चिकित्सा अनुदान हेतु प्रावधान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार योजनाओं के चयन के सिद्धान्त के अनुसार प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान था परन्तु विभागीय संकल्प संख्या 3924, दिनांक 10 अगस्त, 2018 के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान मंडल सदस्य वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड़ रुपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा का प्रावधान किया गया है ।

(2) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 3210, दिनांक 22 जून, 2016 की कंडिका 6 'क' में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत प्रतिबंधित कार्यों की दृष्टांत सूची वर्णित है, जिसमें व्यक्ति विशेष, अंशदान, अनुदान एवं ऋण सम्मिलित है ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का शुभारम्भ वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से किया गया था । इस कार्यक्रम के तहत विधान मंडल के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करने का प्रावधान है । इस कार्यक्रम के तहत किसी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा अथवा शैक्षणिक फीस के लिये प्रावधान नहीं किया जा सकता है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि इस तरह का प्रावधान करना इस योजना के मूलभूत उद्देश्य के प्रतिकूल होगा ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सहायता राशि देना

34. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की सामूहिक सड़क दुर्घटना योजना में एक से अधिक संख्या में मृत्यु/घायल होने पर प्रति मृतक 4 लाख रुपया तथा प्रति घायल 50 हजार रुपया सहायता देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों/घायलों में आपसी परिचय नहीं होने पर प्राथमिकी में मृतक के परिजन केवल मृतक का नाम दर्ज कराते हैं, जानकारी के अभाव में अन्य घायल का पता नहीं कर पाते हैं । जिस कारण मृतक परिवार सरकारी अनुदान से वंचित हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दुर्घटना में मृत/घायल एक व्यक्ति के लिये भी सामूहिक सड़क दुर्घटना में संशोधन कर 4 लाख/50 हजार का सहायता राशि देने को विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । सामुहिक सड़क दुर्घटना में मृत प्रति व्यक्ति 4.00 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान का भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

सामूहिक सड़क दुर्घटना में घायलों के संबंध में निम्न प्रकार से अनुदान का भुगतान किया जाता है :--

1. हाथ, पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान -
   (i) रु0 59,100 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत की बीच हो)
   (ii) रु0 2.00 लाख प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो)
2. गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े :--
   (i) रु0 12,700 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)
   (ii) रु0 4,300 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)

(2) ऐसी कोई घटना विभाग के संज्ञान में नहीं है ।

(3) आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या 1418, दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के अनुसार मानवजनित सामूहिक दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुये दिनांक 20 मार्च, 2015 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है ।

इस प्रकार उक्त दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति के प्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देय नहीं है ।

कार्रवाई करना

35. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में भिन्न-भिन्न कम्पनियों से आपूर्ति कर रैपिड एंटीजन किट से कोरोना वायरस की कराये जा रहे जाँच में से 50 प्रतिशत जाँच रिपोर्ट गलत पाये जा रहे हैं, जिससे रैपिड एंटीजन जाँच की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है और आम लोगों को आर्थिक क्षति के साथ काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे कम गुणवत्ता वाले रैपिड एंटीजन किट की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

मुआवजा देना

36. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के आश्रितों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान बिहार सरकार द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अप्रील, 2020 से अभीतक कोरोना से मृत व्यक्तियों की संख्या 1480 है, परंतु मात्र 54 लोगों को ही अबतक 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी मृतकों के आश्रितों को निर्धारित मुआवजा देने तथा ससमय मुआवजा मिले इसको सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम कबतक उठाने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 5 मार्च, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 120(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550